(a) whether Government have paid any compensation to the next of kin of the deceased; and

(b) what action Government have taken and propose to take to prevent the police atrocities on the citizens?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) There is no scheme to pay compensation to the next of kin of the deceased persons who died in police custody.

(b) Instructions have been reiterated to treat accused persons in accordance with law and to avoid resorting to third degree methods at all costs.

2. Investigating Officers have been enjoined upon to adopt modern scientific methods such as use of lie detectors, dog squad, etc.

3. Supervisory Officers have been enjoined upon to visit Police Stations regularly.

भारत इजराइल सम्बन्ध

1440. **डा० जितेन्द्र कुमार बैन:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अगस्त, 1991 के "स्टेट्समैन" में "नीड टू रिव्यू टाइज विद इजराइल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इजराइल तथा अन्य अरब राष्ट्र शांति की स्थापना हेतु आपसी परामर्श से कोई हल निकालने के लिये तत्पर हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हम यह चाहेंगे कि विश्व के अधिकतर राष्ट्र हमारे औद्योगिक, राजनैतिक तथा आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करें ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बदली हुई परिस्थितियों में इजराइल के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बनाने के लिये अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करेगी तथा इस संबंध में कुछ व्यावहारिक कदम उठायेगी, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एड्वार्डो फेलेरियो): (क) जी, हां ।

(ख) मध्य पूर्व शान्ति समाधान पर संबंधित अरब राज्यों और इजराइल के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू करवाने के लिए अमरीका तथा सोवियत संघ द्वारा सहप्रायोजित शान्ति सम्मेलन बुलाने से सम्बद्ध प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) भारत आपसी हित के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संवर्धन के प्रति वचनबद्ध है ।

(घ) इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना इस बात पर निर्भर करता है कि फिलिस्तीनी मसले के समाधान की दिशा में कितनी वास्तविक प्रगति हुई है ।

Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1991

1441. SHRI S. S. AHLUWALIA:

SHRI BHADRESHWAR BURAGOHAIN:

Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1991 has not been assented to by the President so far;